संख्या–भा0स0 69 / 14–2–2017–800 (198) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल 2017**

विषयः– बदायूं में चन्दौसी–बदायूं मार्ग एस0एच0–43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 10 / 2017 / एफसी / 13, दिनांक 06–04–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम से सम्बंधित प्रमाण पत्र में Census 2001 में वनाधिकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुये संशोधित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रकरण के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06–4–2017 के की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की अपेक्षानुसार वनाधिकार अधिनियम से सम्बंधित प्रमाण पत्र में Census 2001 में वनाधिकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुये संशोधित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।